न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर

कारीः शकुन्तला चौधरी

राजस्व वाद सं. 25/2020

उम्र 45 वर्ष पुत्री भोमाराम पत्नी चन्द्रभान जाति जाट निवारी भारू का बास तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं हाल आबाद चक न्यौला तहसील मलरीसर जिला झुंझुनूं

–प्रार्थीया

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलसीसर जिला झुंझुनूं

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अ.धा. 136 राज. भू राजस्व अधिनियम

प्रार्थीया ने जरिये अधिवक्ता प्रा.पत्र अ.धा. 136 आर.टी. एक्ट इस आशय का पेश किया है कि ग्राम अलसीसर की सरहद में भूमि ख.न. 905 रकबा 0.90 है. ख.न. 906 रकबा 2.89 है. कुल किता 02 कुल रकबा 3.79 है. अवस्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थीया एवं उसके भाईयों व बहिनों की खातेदारी काश्तकारी भूमि रही है। जिस पर प्रार्थीया कि हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है। प्रार्थीया का नाम अमिता है लेकिन राजस्व रिकार्ड में गलती से अनिता दर्ज हो गया। इस अशुद्धी को दुरूस्त करवाने के लिए प्रार्थना पत्र सेवा में पेश किया है। तहसीलदार की जांच रिपोर्ट, प्रार्थीया का स्वयं का प्रार्थना पत्र, चुनाव परिचय पत्र, आधार कार्ड में प्रार्थीया का नाम अमिता है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि अनिता के स्थान पनर अमिता दर्ज करने का आदेश फरमावें। प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थी की तलबी वास्ते जबाबदेही की गई।

बहस प्रार्थना पत्र एक तरफा श्रवण की गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र में अंकित अनिता के स्थान पर अमिता दुरूस्त किया जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। ग्राम अलसीसर की सरहद में भूमि ख.न. 905 रकबा 0.90 है. तथा ख.न. 906 रकबा 2.89 है. कुल किता 08 कुल रकबा 3.7900 है। में से हि0 1/8 अनिता पुत्री भोमाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है लेकिन राजस्व रिकार्ड में गलती से अमिता के स्थान पर अनिता दर्ज हो गया। इस अशुद्धी को दुरूस्त करवाने के लिए प्रार्थना पत्र सेवामें पेश किया गया है। अनिता का नाम चुनाव परिचय पत्र, आधार कार्ड में प्रार्थीया का नाम अमिता ही दर्ज है। इस प्रकार उक्त विवेचन से प्रार्थीया राजस्व रिकार्ड अनिता के स्थान पर अमिता दुरूस्त किया जाना उचित प्रतित होता है।

आदेश

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम अलसीसर की सरहद में भूमि ख.न. 905 रकबा 0.90 है. ख.न. 906 रकबा 2.89 है. कुल किता 02 कुल रकबा 3.79 है. जमांबदी संवत 2074–77 में अंकित अनिता पुत्री भोमाराम के स्थान पर अमिता पुत्री भोमाराम दुरूस्त किया जाता है। खाते के शेष इंद्रजात यथावत रहेंगें। तहसीलदार तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करें।

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

निर्णय आज दिनांक 07.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

Scanned by CamScanner

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी का नामः– शकुन्तला (आर.ए.एस.)   निर्णय दिनांक :–

–: आदेश :–

प्रार्थी / अधिवक्ता व खाता दुरूस्ती प्रार्थना–पत्र एंव पटवारी हल्का **अलसीसर** व भू0अ0अ0नि0 **अलसीसर** की रिपोर्ट तथा तहसीलदार मलसीसर की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण ग्राम **अलसीसर** तहसील **मलसीसर** जिला झुंझुनूं की जमाबन्दी सम्वत् **2074–2077** के खाता संख्या **441** में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है।

क्र. स.	ग्राम का नाम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	**अलसीसर**	खाता संख्या **441** के भूमि ख.न. **905** व **906** कुल किता **02** रकबा **3.7900** है0	अनिता पुत्री भोमाराम	**अमिता पुत्री भोमाराम**

नोटः– खाते के शेष इन्द्राजात यथावत रहेंगे।

शकुन्तला
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

क्रमांकः– राजस्व / 2021 /   दिनांक :– 07/01/2021

प्रतिलिपिः–

1. तहसीलदार मलसीसर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवायी जानी सुनिश्चित करें।
2. अमिता पुत्री भोमाराम निवासी अलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू को सूचनार्थ।
3. आदेश पत्रावली।

शकुन्तला
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

Scanned by CamScanner